

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 फरवरी, 2020

विषय:- सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों के पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/02/31/2018/एफ.सी/425, दिनांक 28.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1712/11-सी-एफपी/यूपी/IRRIG /20269/2016 दिनांक 24.02.2020 द्वारा कमियों का निराकरण कर सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं/अभिलेख की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी, सोनभद्र।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीता चौधरी)
अनु सचिव।